

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक

149

/12-1(2)

अल्मोड़ा

दिनांक 06-07-2017

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट-लालनगरी मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं० 13914/2015) में लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के संबन्ध में।

संदर्भ – आपका पत्रांक मैमो/12-1(2) दिनांक 30.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो सिविल सोयम भूमि ग्राम झड़गांव में पूर्व में ली गयी थी उक्त सिविल सोयम भूमि में से VDS density वाले ऐरिया को छोड़ते हुए 5.188 है० भूमि उक्त स्थान (झड़गांव) में ही लिया गया है, एवं 2.50 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम ओखलिया में ली गयी है। जिसके के०एम०एल० एवं नक्शें तैयार कर फार्म A के L section में पार्ट iv(c) एवं V में मैप अवलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

(एस०आर० प्रजापति)

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।